पत्रांक–5/भू०अधि०(गोड्डा ब्रिज)/06/2018/न०वि०आ० 31

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

OSP

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 04/06/18

विषयः–गोड्डा नगर परिषद अन्तर्गत कझिया नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण के निमित्त, पुल के दोनो ओर पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण/क्रय करने हेतु ग्राम शिवपुर एवं गोड्डा टॉउन, थाना संख्या–375 एवं 502, खाता संख्या–3, 21, 26/क एवं 5, रकबा–1.1914 एकड़ रैयती भूमि क्रय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में गोड्डा नगर परिषद को कुल 49,64,124/–रू० (उन्नचास लाख चौसठ हजार एक सौ चौबीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गोड्डा नगर परिषद अन्तर्गत कझिया नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण के निमित्त, पुल के दोनो ओर पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण/क्रय करने हेतु ग्राम शिवपुर एवं गोड्डा टॉउन, थाना संख्या–375 एवं 502, खाता संख्या–3, 21, 26/क एवं 5, रकबा–1.1914 एकड़ रैयती भूमि क्रय करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में गोड्डा नगर परिषद को कुल 49,64,124/–रू० (उन्नचास लाख चौसठ हजार एक सौ चौबीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक सह पठित ज्ञापांक–435 दिनांक–07.05.2018 द्वारा प्रेषित, पहुँच पथ निर्माण हेतु अधिगृहीत/क्रय की जाने वाली भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

क्र० सं०	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता संख्या	खेसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	अधिग्रहण की जानेवाली रकवा (एकड़ में)	आयुक्त के पत्रांक–136 दिनांक–13.07.2016 के अनुसार रैयत भूमि का दर (रूपये में/एकड)
1	शिवपुर	375	3	230	रैयती	0.3519	1227600.00
2	शिवपुर	375	3	233	रैयती	0.0201	767250.00
3	शिवपुर	375	3	240	रैयती	0.1207	767250.00
4	शिवपुर	375	3	184	रैयती	0.0412	1227600.00
5	शिवपुर	375	7	214	रैयती	0.2636	767250.00
6	शिवपुर	375	21	212	रैयती	0.1012	767250.00
7	शिवपुर	375	21/क	229	केसर हिन्द	0.1915	613800.00
8	गोड्डा टाउन	502	5	251	रैयती	0.1012	613800.00
					कुल :–	1.1914	

3. स्वीकृत राशि की निकासी मांग सख्या–48 अन्तर्गत–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–191–नगर निगमो को सहायता–उपशीर्ष–56–शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान–79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48S221780191560679 से वित्तीय वर्ष 2018–19 में विकलनीय होगी।

4. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर परिषद होंगे। जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 गोड्डा कोषागार से की जाएगी।

5. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या–3993 दिनांक–22.07.2016 द्वारा भूमि क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इस राशि से विषयगत योजना हेतु भूमि क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

Rakesh/E/Shail/S0_Land Acqistion18-19(3)

6. गोड्डा नगर परिषद को उक्त योजना हेतु शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण मद से विगत वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016–17) में कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र शून्य है।

7. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

11. संबंधित निकाय के प्रशासी पदाधिकारी स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए स्वीकृत राशि से भूमि क्रय की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

1.6.18
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5/भू०अधि०(गोड्डा ब्रिज)/06/2018/न०वि०आ० 31 राँची, दिनांक– 04/06/18

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विकास विभाग/निदेशक, राज्य शहरी अभिकरण/आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल/उपायुक्त गोड्डा/कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा कोषागार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (तकनीकी एवं प्रशासन), जुडको लिमिटेड/श्री कुणाल CMM को विभागीय वेबसाईट एवं झारखण्ड सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/संयुक्त सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.6.18
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Rakesh/E/Shail/S0_Land Acqistion18-19(4)